रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-127 REGISTERED NO. D. (D.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 1991/फाल्गुन 21, 1912
No. 155] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 1991/PHALGUNA 21, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1991

का.आ. 172 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अधिशिष्ट कर्मचारिवृन्द पुनराभिनियोजन) नियम, 1990 के नियम 6 के उप नियम (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के अधीन पुनर्समायोजन चाहने वाले पात्र मामलों के और वर्गों को विनिर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनराभिनियोजित अधिशिष्ट कर्मचारियों का पुनर्समायोजन) आदेश, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक मास की समाप्ति पर प्रवृत्त होंगे।

2. पुनर्समायोजन के पात्र अधिशिष्ट कर्मचारियों के मामले:—अधिशिष्ट कर्मचारी, नीचे विनिर्दिष्ट मामलों में भी पुनर्समायोजन के पात्र होंगे:—

(1) जहां किसी कर्मचारी को पुनराभिनियोजन पर नया पद ग्रहण करने की तारीख को किसी पूर्ववर्ती तारीख से भूतलक्षी रूप से अधिशेष प्रकोष्ठ की मार्फत पुनराभिनियोजन से पूर्व उसके द्वारा धारित पद से संबंधित वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में, चाहे उसके पद के वेतनमान के पुनरीक्षण के कारण या प्रोन्नति देने के कारण, रख दिया गया है:

परन्तु यह कि,—

(क) वह ऊपर निर्दिष्ट उच्चतर वेतनमान के समान (या उससे उच्चतर) वेतनमान वाला कोई पद पहले से धारण नहीं किए हुए है; और

(ख) केन्द्रीय सिविल सेवा और पदों पर अधिशिष्ट कर्मचारियों का पुनराभिनियोजन (अनुपूरक) नियम 1989 के नियम 6 के उप नियम (1) के खंड (क) के अधीन उसका विकल्प फाइल करने पर ऊपर निर्दिष्ट उच्चतर वेतनमान के समान वेतनमान वाले किसी पद पर पुनर्समायोजन की कार्रवाई पहले नहीं की गई है।